

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 98/17

अनवान :

1. चुन्नीराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
2. बिरजलाल पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
3. बलराम पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
4. लालचन्द पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
5. इन्द्रसिंह पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक मलसीसर।
7. एसबीबीजे शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ऋषभ जैन सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. चुनीराम पुत्र रूपाराम कौम जाट सा० देह खातेदार के पास : रोही मौजा बोझला के खसरा सं० 181 की 0.506 है०, खसरा सं० 175/1 की 6.317 है० कुल किता 2 की 6.823 है० बारानी प्रथम
2. नन्दराम, बिरजलाल, बलराम, लालचन्द, इन्द्रसिंह पि० पीरूराम ब०हि०ब० कौम जाट सा० देह खातेदार के राहिन बलराम, लालचन्द हिस्सा एसबीआई शाखा बस स्टैण्ड भादरा के पास : रोही मौजा बोझला के खसरा सं० 175/2 की 3.598 है० किता 1 रकबा 3.598 है० बारानी प्रथम
3. नन्दराम बिरजलाल, बलराम, लालचन्द, इन्द्रसिंह पि० पीरूराम ब०हि०ब० कौम जाट सा० बोझला खातेदार राहिन बलराम, लालचन्द हिस्सा एसबीआई शाखा बस स्टैण्ड भादरा के पास : रोही मौजा राखी के खसरा सं० 19 की 3.225 है० किता 3.225 है० बारानी प्रथम

इसी अनुसार बैंक रहन यथावत् रखते हुए पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ऋषभ जैन)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 98/17

अनवान :

1. चुन्नीराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
2. बिरजलाल पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
3. बलराम पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
4. लालचन्द पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
5. इन्द्रसिंह पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक मलसीसर।
7. एसबीबीजे शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तकशीम

अन्तर्गत धारा 53 राज० काश्त० अधिनियम 1953

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी

निर्णय

दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौज राखी के वर्तमान खाता सं० 17/17 के खसरा सं० 19 की 3.225 है० बाराणी खातेदारी में वादी के नाम से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही बोझला के वर्तमान खाता सं० 30/27 के खसरा सं० 175 की 9.915 है० खसरा सं० 181 की 0.506 है० कुल 10.421 है० बाराणी खातेदारी में भी वादी के नाम से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 के नाम से संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार भादरा को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया था अब तहसीलदार भादरा को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिस पर पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार भादरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज/आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

चुनीराम बनाम नन्दराम आदि

1. चुनीराम पुत्र रूपाराम कौम जाट सा० देह खातेदार के पास : रोही मौजा बोझला के खसरा सं० 181 की 0.506 है०, खसरा सं० 175/1 की 6.317 है० कुल किता 2 की 6.823 है० बारानी प्रथम
2. नन्दराम, बिरजलाल, बलराम, लालचन्द, इन्द्रसिंह पि० पीरूराम ब०हि०ब० कौम जाट सा० देह खातेदार के राहिन बलराम, लालचन्द हिस्सा एसबीआई शाखा बस स्टैण्ड भादरा के पास : रोही मौजा बोझला के खसरा सं० 175/2 की 3.598 है० किता 1 रकबा 3.598 है० बारानी प्रथम
3. नन्दराम बिरजलाल, बलराम, लालचन्द, इन्द्रसिंह पि० पीरूराम ब०हि०ब० कौम जाट सा० बोझला खातेदार राहिन बलराम, लालचन्द हिस्सा एसबीआई शाखा बस स्टैण्ड भादरा के पास : रोही मौजा राखी के खसरा सं० 19 की 3.225 है० किता 3.225 है० बारानी प्रथम

इसी अनुसार बैंक रहन यथावत् रखते हुए पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

R
(ऋषभ जैन)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़